भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.454
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाना

454. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कृषि बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए विशेषकर जमीनी स्तर पर फसल कटाई के बाद के प्रबंधन, भंडारण और मूल्य-श्रृंखला दक्षता को बढ़ाने के संबंध में किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे और लाभार्थी डेटाबेस में किसानों को नाम बार बार आने, उन्हें हटाने या गलत रूप से चिह्नित किसान लाभार्थियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उत्पादकता और संसाधन दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि करने के लिए सरकार की रणनीतियों जैसे सटीक खेती, उपग्रह-आधारित फसल निगरानी और एआई-संचालित सलाहकार प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): फसलोपरांत प्रबंधन में कमियों को दूर करने और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए वर्ष 2020-21 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की शुरुआत की गई थी। बैंक और वित्तीय संस्थान एआईएफ से 3% वार्षिक ब्याज सहायता के साथ ₹1 लाख करोड़ के ऋण प्रदान करते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और नबसंरक्षण के अंतर्गत ₹2 करोड़ तक के ऋणों के लिए ऋण गारंटी कवरेज भारत सरकार द्वारा समर्थित है। एआईएफ फसलोपरांत और कृषि परिसंपत्तियों जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, पैक-हाउस, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, परख सुविधाओं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, लॉजिस्टिक्स/आपूर्ति-श्रृंखला इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के निर्माण के लिए मध्यम से दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए ब्याज अनुदान प्रदान करता है। ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी मिलकर किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), कृषि उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। एआईएफ के अंतर्गत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र जैसे 39,022 कस्टम हायरिंग सेंटर, 25,721 प्रसंस्करण इकाइयों, 20,917 कृषि स्वचालन इकाइयों, 17,362 वेयरहाउस, 4,032 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, 2,739 कोल्ड स्टोरेज आदि हेतु ₹1,22,731 करोड़ का निवेश जुटाया है।

(ख): यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, सरकार ने पीएम-किसान वेब पोर्टल, पीएम-किसान मोबाइल ऐप और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सहित कई नामांकन चैनल स्थापित किए हैं। सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पहुंच और प्रचार गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासनिक निधि प्रदान करती है। मंत्रालय, राज्य सरकारों के समन्वय से, सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सेचुरेशन ड्राइव्स चलाता है। पीएम-किसान की 21वीं किस्त 9.34 करोड़ किसानों को वितरित की गई। दोहराव, बहिष्करण या गलत पहचान के मुद्दों का समाधान करने के लिए, पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड किए गए सत्यापित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़ों के आधार पर केवल आधार-सीडेड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभ जारी किए जाते हैं। कई तकनीकी सत्यापन शुरू किए गए हैं, जिनमें बैंक-खाता सत्यापन के लिए पीएफएमएस, आधार प्रमाणीकरण और मृतक लाभार्थियों को हटाने के लिए यूआईडीएआई और बहिष्करण मानदंडों को लागू करने के लिए आयकर विभाग के साथ एकीकरण शामिल है।पीएम-किसान डेटाबेस को पीडीएस राशन कार्ड रिकॉर्ड के साथ क्रॉस-चेक किया जाता है और पीएफएमएस, यूआईडीएआई और आयकर डेटासेट में स्वचालित रूप से डी-डुप्लीकेशन किया जाता है। ये उपाय सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल कृषि योग्य भूमि वाले पात्र किसान ही योजना का लाभ प्राप्त करें।

(ग): भारत सरकार उत्पादकता और संसाधन दक्षता में सुधार के लिए सतत खेती, उपग्रह आधारित फसल निगरानी और एआई-संचालित सलाह को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम) को लागू कर रही है। यह मिशन कृषि के लिए एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के निर्माण पर केंद्रित है, जिसमें एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और व्यापक सॉइल प्रोफ़ाइल मैपिंग शामिल है। एग्रीस्टैक में किसानों की रजिस्ट्री, भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र और बोई गई फसल रजिस्ट्री जैसे मूलभूत डेटाबेस शामिल हैं, जो किसानों को समय पर और विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी) फसल (एफएएसएएल) परियोजना के तहत उपग्रह आधारित फसल पूर्वानुमान, सूखे की निगरानी और यस-टेक और डिजिटल फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से पीएमएफबीवाई को तकनीकी सहायता प्रदान करके मिशन का समर्थन करता है। प्रमुख पहलों में किसानों के प्रश्नों के लिए एआई-संचालित किसान ई-मित्र चैटबॉट और राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली शामिल है, जो कीटों के संक्रमण का पता लगाने और फसल के नुकसान को कम करने के लिए एआई/एमएल टूल्स का उपयोग करती है।

*****